न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर :— 312/18

वादी

1. रामप्रताप पुत्र श्री देवकुमार
   1/1 सीतादेवी पत्नि रामप्रताप
   1/2 चंचल पुत्री रामप्रताप (उम्र 18 वर्ष)
   1/3 राधा पुत्री रामप्रतापप (उम्र 16 वर्ष)
   1/4 अशोक पुत्र रामप्रताप (उम्र 14 वर्ष)
   1/5 शोभा पुत्री रामप्रताप (उम्र 12 वर्ष)
   1/6 मुकेश पुत्र रामप्रताप (उम्र 10 वर्ष)
2. राजेश पुत्र श्री देवकुमार
3. सोहन पुत्र देवकुमार
4. श्रवण पुत्र श्री देवकुमार
5. श्रीमती फेंफादेवी पत्नी श्री देवकुमार

सभी जाति विश्नोई, निवासी जम्भेश्वरनगर लोहावट, तहसील लोहावट जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कमला पुत्री श्री देवकिशन
2. शान्ति पुत्री देवकिशन
3. राजूदेवी पुत्री देवकिशन
4. शान्ति पुत्री बलवंताराम
5. इमरती पुत्री श्री कृष्णचंद
6. विष्णुगोपाल पुत्र श्री कृष्णचंद
7. महेशकुमार पुत्र श्री कृष्णचंद
8. पुरूषोतम पुत्र श्री कृष्णचंद
9. चतुर्भुज पुत्र श्री कृष्णचंद
10. हरिराम पुत्र श्री कृष्णचंद
11 प्रभुदयाल पुत्र श्री कृष्णचंद
12. कमला पुत्री श्री कृष्णचंद

सभी जाति विश्नोई निवासी जम्भेशरनगर लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर

13. श्रीमान तहसीलदार लोहावट

उपस्थिति :—

1. वादीगण की ओर से उगराराम उदाणी।

—: निर्णय :— **दिनांक :— 29/05/2019**

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वक्त बंदोवस्त ग्राम लोहावट विश्नोईयाबास तहसील फलोदी जिला जोधपुर में कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 174 रकबा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 177 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा में 1/4 हिस्सा ,खसरा नम्बर 585 रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1722 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2794 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 173/2941 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 201/2963 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 173/2942 रकबा 03 बिस्वा में 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष कृष्णचंद पुत्र गणेश की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई थी जिसमें कृष्णचंद पुत्र गणेश फौत होने पर उनके हिस्से की उक्त भूमि में उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान् एवं उतराधिकारीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 012 खातेदार काश्तकार काबिज

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

हो गये। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में नये राजस्व गांव व नई तहसील बनने से वर्तमान में ग्राम लोहावट बिश्नावास पटवार क्षेत्र लोहावट बिश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, ग्राम मगरा पटवार क्षेत्र लोहावट बिश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 147 रकबा 05 बिस्वा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 177 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा में 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 173 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 173/2941 रकबा 7 बीघा, खसर नम्बर 173/2942 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 201/2963 रकबा 4 बिघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम डाबर पटवार क्षेत्र लोहावट बिश्नावास में खेत खसरान 585 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा में 1/2 हिस्सा ग्राम भजन नगर पटवार क्षेत्र जम्भेश्वर नगर मे खसरा नम्बर 1722 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम जम्भेश्वर नगर तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 2794 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की अन्य सहखातेदारों के साथ आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष कृष्णचंद पुत्र गणेषाराम के फौत होने पर उनके हिस्से की वादग्रसत भूमि पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार काबिज हो गये तथा अपने अपने हिस्से कि भूमि के अनुसार सभी का मौके पर कब्जा चला आ रहा है। पर पूर्व पुरूष कृष्णचंद फौत होने पर उनका फौतेदगी नामांतरकरण मात्र प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के नाम ही भरा गया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 भी कृष्णचंद के विधिक एंव प्रथम श्रेणी के वारिसान है।

चूंकि कृष्णचंद ने अपने जीवन काल में दो शादिया की थी तथा कृष्णचंद के फौत होने पर हल्का पटवारी ने मात्र कृष्णचंद की द्वितीय पत्नी सुगनीदेवी के वारिसान् के नाम ही नामांतरकरण भर कर स्वीकृत कर दिया तथा कृष्णचंद की प्रथम पत्नी पेम्पीदेवी से जन्मी संतानों वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम नामांतरकरण में दर्ज करने से छोड़ दिये जब कि कृष्णचंद कि पत्नी पेम्पीदेवी से जन्मी संताने वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 कृष्णचंद के प्रथम श्रेणी के वारिसान् एवं उतराधिकारी है जिनका उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में कृष्णचंद के हिस्सा कि भूमि में अपने अपने हिस्से अनुसार आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 कि अपने अपनें बंट एवं हिस्सा में आई कृषि भूमि पर रहवासीय ढाणीयों में बारह हि मास अपने अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है तथा प्रति वर्ष काश्त करते एंव अंवेरते आ रहे है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें आज दिन तक किसी ने भी किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही की है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुतवफी कृष्णचंद के प्रथम श्रेणी के वारिसान् एवं उतराधिकारी होने से तथा उक्त वादग्रस्त खसरान् की कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का भी उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में हक व हिस्सा है इसलिये वादीगण अपने आप को उक्त वादग्रस्त खसरान् की कृषि भूमियों में कृष्णचंद के हिस्सा की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 को आपसी सहमति से उक्त वादग्रस्त खसरान् की कृषि भूमि अपने पूर्व पुरूष कृष्णचंद के हिस्सा की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ अपना एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम दर्ज करवाने का निवेदन करते रहे जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 हर बार वादीगण को टालमटोल का जवाब देते रहे और अभी दिनाकं 20.03.2016 को जब वादीगण ने अंतिम बार प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 को आपसी सहमति से

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा वादीगण को यह धमकी दी कि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम से दर्ज नही करवायेगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 13 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि में कृष्णचंद के हिस्सा कि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ अपना व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया तो प्रतिवादी संख्या 13 इन्कार हो गये तथा वादीगण को कहा कि उक्त कार्य मेरे क्षेत्राधिकार से परे है इसलिये आप सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे। उक्त वादग्रस्त खसरान के सहखातेदारों से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है और न ही उनका कोई हित प्रभावित हो रहा है इसलिये उनको दावा में पक्षकार बनाया गया है।

व्यहारकरण तब पैदा हुआ जब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष कृष्णचंद के फौत होने पर उनका फौतेदगी नामांतरकरण मात्र कृष्णचंद की द्वितीय पत्नी सुगनीदेवी की संतानो प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के नाम भरने पर और वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम नामकरण में दर्ज करने से छोडने पर और अभी दिनांक 20.03.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 द्वारा आपसी सहमति से वादीगण का नाम अपने साथ दर्ज करवाने से इन्कार करने पर बमुकाम ग्राम लोहावट विश्नावास, भजननगर, डाबर जम्भेश्वर नगर मगरा, पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट जिला जोधपुर में पैदा होता है जो आज दिन तक लगातार जारी है । वर्तमान ग्राम लोहावट विश्नावास पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, ग्राम मगरा पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास मे खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 177 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा में 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 173 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 173/2941 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 173/2942 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 201/2963 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम डाबर पटवार क्षेत्र लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरान 585 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम भजन नगर पटवार क्षेत्र, जम्भेश्वर नगर तहसील लोहावट में खसरा नम्बर 1722 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम जम्भेश्वर नगर पटवार क्षेत्र जम्भेश्वर नगर तहसील लोहावट खेत खसरा नम्बर 2794 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष कृष्णचंद के उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। पेशी दिनांक 12.01.2018 को न्यायालय हाजा को प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा लौटे। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को बार बार आवाजे लगवाई गयी लेकिन प्रतिवादीगण कि और से कोई उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पेशी दिनांक 02.04.2018 को वादी रामप्रताप के फौत हो जाने के कारण वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया व साथ ही संशोधित वाद शीर्षक पेश

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

किया। वादी साक्ष्य में राजेश पुत्र देवाराम, श्रवण पुत्र देवकुमार व मोहनराम पुत्र जोराराम के बयान दर्ज किए जाकर वादी अधिवक्ता द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के कारण वादी साक्ष्य बंद कर दिए गए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य नही हो पाए। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस सुनाई गई। बहस पर मनन व दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया गया।

—: आदेश :—

वादी वाद स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लोहावट बिश्नावास पटवार क्षेत्र लोहावट बिश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, ग्राम मगरा पटवार क्षेत्र लोहावट बिश्नावास मे खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 05 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 177 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा में 1/4 हिस्सा, खसरा नम्बर 173 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 173/2941 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 173/2942 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 55 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 201/2963 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम डाबर पटवार क्षेत्र लोहावट बिश्नावास तहसील लोहावट में खेत खसरान 585 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम भजन नगर पटवार क्षेत्र, जम्भेश्वर नगर तहसील लोहावट में खसरा नम्बर 1722 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा, ग्राम जम्भेश्वर नगर पटवार क्षेत्र जम्भेश्वर नगर तहसील लोहा८ट खेत खसरा नम्बर 2794 रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष कृष्णचंद के उपराक्त वर्णित हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अतः तहसील लोहावट को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का नाम प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 12 के साथ बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब होकर शामिल पत्रावली हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

Scanned by CamScanner